तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवान सरकार बनाम	नंबर अहकाम हुक्म में
	मुकदमा नं0 108/17 निर्णय दि0	
12/3/18	[illegible] 210 से बी-नाक [illegible] 18 को पेश हो	
30/5/18	पत्रावली लोक अदालत कैम्प राणोली मे पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। व बहस का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से साबित है कि तालीमा विवादित भूमि का सीमा शान कर पत्रगदी करवाने का अधिकारी है। तालीमा का दावीनामा पत्र 128 जाब्ता दिवानी स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः तालीमा का दावीनामा पत्र पत्रगदी धारा 128 जाब्ता दिवानी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सिकराय को आदेश दिये जाते है कि विवादित भूमि खसरा नं. 106 रकबा 0.18 है0 भूमि वाके रामा राणोली त0 सिकराय का सीमा शान कर पत्रगदी करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिकराय को तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे हाथ लिखाया जा कर लोक अदालत कैम्प राणोली मे सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा